दया चौधरी और सुधीर मित्तल जे0जे0 के समक्ष

सुचदेव .... याचिकाकर्ता

बनाम

अध्यक्ष, चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और अन्य .... प्रतिवादी

केस नं0ः–**CWP NO. 15532/2018**

July 11, 2019

भारत का संविधान, 1950 –कला । 226 और 227 – फ्लैट का आवंटन – हाउसिंग बोर्ड चण्डीगढ़ – आवंटनकर्ता को ब्याज के रूप 4,72,180/–रुपये जमा करने के लिए मजबूर किया गया । आवंटनकर्ता द्वारा भुगतान की गई अन्तिम किस्त में केवल 2/–रूपये कम थे । आउसिंग बोर्ड ने आवंटन पत्र जारी नहीं किया और कब्जा देने से इन्कार कर दिया, यह माना गया कि यह प्राधिकरण द्वारा दुर्भावनापूर्ण कार्य था – आवंटनकर्ता को शारीरिक, मानसिक और वित्तीय पीड़ा या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, अतिक्ति राशि 15 प्रतिशत ब्याज के साथ तुरन्त प्रभाव से, आवंटी को उत्पीड़न के कारण हुई क्षति के रूप में 50,000/–रुपये वापस करने का निर्देश दिया गया है ।

यह माना गया कि, याचिकाकर्ता उस राशि पर ब्याज के भुगतान का भी हकदार है जो लगभग दो वर्षो की अवधि तक प्रतिवादी–अधिकारियों के पास रही । उन्हें मुआवजे के साथ–साथ हर्जाने का भी हकदार माना गया है । याचिकाकर्ता को भारी पीड़ा का सामना करना पड़ा है क्योंकि सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए एक क़ानून के तहत कार्य करने का अधिकर प्राप्त सम्बन्धित प्राधिकारी ने निष्क्षता से कार्य नहीं किया है । प्रतिवादी–अधिकारियों की ओर से कार्यवाही और निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता को शरीरिक, मानसिक और साथ ही वित्तीय पीड़ा का सामना करना पड़ा है । वह मात्र 2/–रूपये की कम राशि के भुगतान के कारण उत्पीड़न या मानसिक पीड़ा या उत्पीड़न के लिए मुआवजे का हकदार है । उन्हें कब्जा सौंपने के लिए आवंटन पत्र जारी होने का इन्तजार करना पड़ा और मजबूर परिस्थितियों में उन्हें अधिक राशि जमा करनी पड़ी जो बाद में वापस कर दी गई। यह दुर्भावनापूर्ण कार्य प्रतीत होता है।

(पैरा 12)

इसके इलावा यह माना गया कि, याचिकाकर्ता को रूपये की वापसी की अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार माना जाता है जो कि दिनांक 29.06.2016 से 10.05. 2018 तक कुल रूपये 4,72,180/–रुपये प्रतिवादी–अधिकारियों के पास जमा रहे थे । ब्याज राशि के अलावा, याचिकाकर्ता 50,000/–रूपये की राशि का भी हकदार है ।

(पैरा 13)

दीपक जिन्दल
(याचिकाकर्ता के वकील)
इन्द्रेश गोयल,
(प्रतिवादियों के वकील)

दया चौधरी, जे0

1. वर्तमान याचिका में प्रार्थना परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए है जिसमें उत्तरदाताओं को 4,72,180/–रुपये की राशि पर ब्याज देने का निर्देश दिया गया है, जो 2/–रुपये के कम भुगतान के कारण वसूला गया है जो कि दिनांक 07.04.2010 को आयोजित ड्रा में याचिकाकर्ता को आवंटित उप योजना "ए" की सेवानिवृत/सेवानिवृत श्रेणी के तहत लीजहोल्ड आधार पर सैक्टर 63, चण्डीगढ़ में दो बेडरूम वाले फ्लैट के सम्बन्ध में किश्तों का भुगतान करते समय आवंटी को मात्र 2/–रुपये की कम राशि के भुगतान के कारण उत्पीड़न या मानसिक पीड़ा या उत्पीड़न के लिए मुआवजे का हकदार है । याचिकाकर्ता द्वारा फ्लैट के आवंटन के लिए पूरी राशि जमा करने के बावजूद देरी से कब्जे के कारण हुए उत्पीड़न और क्षति के कारण मुआवजा देने की भी अनुरोध की गई है ।

2. संक्षेप में, वर्तमान याचिका में बताए गए मामले के तथ्य यह है कि प्रतिवादी–प्राधिकरण यानी चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, चण्डीगढ़ ने सेवानिवृत / सेवानिवृत श्रेणी के तहत योजना "ए" लीजहोल्ड आधार पर सैक्टर 63, चण्डीगढ़ में दो बेडरूम फ्लैटों की एक योजना शुरू की । फ्लैट की कुल कीमत 28,64,051/–रुपये तय की गई थी । याचिकाकर्ता को दूसरी मंजिल पर फ्लैट के आवंटन के लिए पंजीकृत किया गया था और दिनांक 07.04.2010 को आयोजित ड्रा में सफल रहा था । उसने पंजीकरण पत्र दिनांक 15.06.2016 (अनुलग्नक पी–2) के अनुसार सभी किस्तों का भुगतान किया था । याचिकाकर्ता द्वारा तीसरी किस्त का भुगतान दिनांक 26.04.2013 को किया गया था, जो भुगतान की अन्तिम तिथि 03.05.2013 से काफ़ी पहले था । उन्होंने 8,17,632/–रुपये की जगह 8,17,630/–रुपये का भुगतान किया । पूरी रकम जमा करने के बावजूद उसे कब्जा नहीं दिया गया । मौखिक रूप से उन्हें 100/–रुपये जमा करने की सूचना दी गयी और उसके बाद जैसे ही तीसरी किस्त के रूप में 17,000/–रुपये जुर्माना राशि जमा की । याचिकाकर्ता ने उक्त राशि कुल 8,17,630/–रुपये (देय राशि से 2/–रुपये कम) जमा कर दी । प्रतिवादी–प्राधिकरण के कहने पर, दिनांक 07.04.2015 को 100/–रुपये और दिनांक 21.08.2015 को 17,000/–रुपये जमा कराए । उन्होनें कब्जा पत्र जारी करने के लिए कई अनुरोध किए लेकिन उनके अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया । इसके बाद, प्रतिवादी–अधिकारी ने ब्याज के कारण 4,55,084/–रुपये की अधिक राशि की मांग के लिए एक पत्र जारी किया, जबकि अन्तर केवल 2/–रुपये का था । उन्होनें दोबारा अभ्यावेदन दिया लेकिन उस पर भी विचार नही किया गया । बाध्यकारी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता

को दिंनाक 29.06.2016 को विरोध स्वरूप 4,55,084/–रूपये की राशि जमा करनी पड़ी तथा उक्त राशि जमा करते समय विरोध के तहत पहले भी यह राशि जमा करवा चुका हूँ इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि उसने वह राशि पहले भी जमा कर दी है । इसके बाद याचिकाकर्ता को दिनांक 12.07.2016 को आवंटन पत्र जारी किया गया । शेष राशि रूपये के भुगतान पर दिनांक 21.07.2016 को फ्लैट का कब्जा दे दिया गया । कुल बकाया राशि 86,042/–रुपये को वापिस करने के लिए याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी – अधिकारियों को विभिन्न अभ्यावेदन दिए । कुल राशि 4,72,180/–रुपये के लिए याचिकाकर्ता ने कई बार प्रार्थना की थी लेकिन कोई कार्यवाही नही की गई थी । अन्ततः लगभग दो साल की देरी के बाद याचिककर्ता को उपरोक्त राशि वापिस कर दी गई । याचिककर्ता ने दिनांक 29.06.2016 से दिनांक 10.05.2018 तक राशि रखने के लिए ब्याज के दावे के साथ–साथ मानसिक व शरीरिक उत्पीड़न तथा आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति का भी दावा किया ।

3. प्रतिवादी–अधिकारियों द्वारा वापिस की गई राशि पर ब्याज का भुगतान न करने की कार्यवाही से पीड़ित / दुखी होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की है ।

4. प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित माननीय वकील का कहना है कि यदि कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है तो किसी भी आवंटी को ब्याज देने का कोई प्रावधान नही है । आवंटन के नियमों और शर्तो के अनुसार यदि राशि के भुगतान में देरी होती है, तो आवंटी को पहले महीने के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा और दूसरे महीने के दौरान, ब्याज 21% प्रति वर्ष की दर से देना होगा । तीसरे महीने का ब्याज 24% प्रति वर्ष है । उन्होने आगे कहा कि तीन महीने की अवधि से अधिक किसी भी विस्तार की अनुमति नहीं है । वर्तमान मामले में, ब्याज नियम और शर्तो के अनुसार लगाया गया था । उत्तर में आगे उल्लेख किया गया है कि बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा लिखित अनुरोध पर असाधारण परिस्थितियों के मामले में तीन महीने की अवधि से आगे विस्तार या पंजीकरण के पुनरूद्धार की अनुमति देने में सक्षम हैं, बशर्ते कि अवधि से परे 30% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाए । तीन महीने बाद याचिकाकर्ता के मामले पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेने के बाद प्रतिवादी बोर्ड द्वारा विचार किया गया और याचिकाकर्ता सहित डिफ़ॉल्ट आवंटनकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए ।

5. सभी पक्षों के माननीय वकीलों की दलीलें सुनी और हमने फाइल से उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया है ।

6. तथ्य विवादित नहीं है । माना कि, कुल 2/–रुपये का अन्तर था क्योंकि याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.04.2013 को तीसरी किस्त जमा करते समय 8,17,632/–रुपये बजाय 8,17,680/–रुपये का भुगतान किया था । इसमें कोई विवाद नही हैं कि तीनों किस्तें समय पर जमा कर दिये । याचिकाकर्ता ने 100/–रुपये भी जमा कर दिए और उसके बाद, जो 2/–रुपये कम

भुगतान किया था, उसका कम राशि का जुर्माना 17,000/–रुपये की राशि का भुगतान के लिए बताया गया । इसके बाद, याचिकाकर्ता को 4,55,084/–रूपये की राशि / किस्त पर ब्याज होने का आरोप लगाते हुए 8,17,632/–रुपये की राशि / किस्त जमा करने के लिए मजबूर किया गया । केवल किस्त का भुगतान करने में 2/–रुपये किस्त की कुल राशि पर ब्याज की राशि लगायी गयी है, जबकि इसमें 200/–रुपये का अन्तर था । इसके बाद ब्याज की रकम भी बिना ब्याज के वापस कर दी गई । यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को वापस की गई राशि का भुगतान लगभग दो वर्षो की अवधि के बाद किया गया था क्योंकि इसे प्रतिवादी–अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.06.2016 से दिनांक 10.05.2018 तक रखा गया था ।

7. यह स्पष्ट है कि 2/–रूपये का भुगतान न करने के कारण याचिकाकर्ता को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा । उन्हे 4,72,180/–रूपये की राशि जमा करने के लिए भी मजबूर किया गया था लेकिन इस राशि का भुगतान करने के बाद भी आवंटी को कब्जा नहीं दिया गया था । प्रतिवादी–अधिकारियों द्वारा की गई गणना इस माननीय न्यायालय की समझ से परे है । यहाँ तक कि प्रतिवादी–बोर्ड के माननीय वकील भी यह स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है कि गणना कैसे की गई है । तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि 4,72,180/–रुपये की राशि वसूल की गई है, जो कि याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि से अधिक है, लेकिन बाद में इसे याचिकाकर्ता को वापस कर दिया गया, इस याचिका में, याचिकाकर्ता द्वारा राशि पर ब्याज के साथ–साथ हर्जाना के ब्याज का भी दावा कर रहा है ।

8. यह न केवल याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक राशि वसूलने का मामला है, बल्कि आंवटन पत्र जारी करने और कब्जा सौंपने में देरी के कारण याचिकाकर्ता का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से भी परेशान किया गया है बल्कि कुछ समय बाद, साथ ही रकम भी वापस कर गई । प्रतिवादी–अधिकारियों की कार्यवाही / निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता को घर / फ्लैट के बिना रहना पड़ा ।

9. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाम बलबीर सिहँ मामले में माननीय सर्वोच्य न्यायालय के समक्ष भी कानून का यही प्रश्न था, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

> "मुआवजा शब्द का अर्थ व्यापक है । यह वास्तविक हानि या अपेक्षित हानि का गठन कर सकता है और शारीरिक, मानसिक या यहाँ तक कि भावनात्मक पीड़ा, अपमान या चोट या हानि के लिए मुआवजे तक बढ़ सकता है । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान उपभोक्ता को सक्षम बनाते है । दावा करें और किसी भी अन्याय के निवारण के लिए आयोग को सशक्त बनाएं । आयोग या फोरम न केवल वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य देने का हकदार है, बल्कि उपभोक्ता को उसके साथ हुए अन्याय के लिए मुआवजा देने का भी हकदार है । आयोग / फोरम को यह निर्धारित करना होगा कि ऐसा कष्ट उचित है दुर्भावनापूर्ण या मनमौजी या दमनकारी कार्य के लिए, यह तब राशि निर्धारित कर सकता है जिसके लिए प्राधिकारी–अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दुर्व्यहार के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है । ऐसा मुआवजा कानून की ताकत को साबित करने के लिए हैं ।"

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य निर्णय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बनाम श्रीमति द्रौपदी देवी को हुई भूखण्ड आवंटन के कब्जा देने में देरी के मामले में अधिकारी उचित समय के भीतर कब्जा देने में विफल रहे । ऐसे में अतिरिक्त राशि वसूली गयी । उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को राशि की दोबारा गणना करने का निर्देश दिया गया था और जमा की गई राशि की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज का भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया था । उस मामले में भी आवंटी को एक भूखण्ड आवंटित किया गया था और उसने पर्याप्त राशि का भुगतान किया था लेकिन कब्जा नहीं दिया गया था । उन्होनें जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष शिकायत दर्ज की और पुनः आवंटन की तारीख से लेकर कब्जे की पेशकश तक पूरी जमा राशि पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया । हुड्डा अथोरिटी द्वारा राज्य आयोग के समक्ष अपील दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया और आदेश दिया गया । जिला उपभोक्ता फोरम की पुष्टि हुई, इसके बाद राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया गया, जिसे भी खारिज कर दिया गया । अन्ततः हुड्डा अथोरिटी ने अपील दायर करके सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और राशि की फिर से गणना करने और ब्याज के साथ वापस भुगतान करने के निर्देश के साथ इसका निपटारा कर दिया गया ।

11. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मामले (ऊपर लिखित) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रूके बनाम बरनार्ड मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए, सरकारी कर्मचारियों की भूमिका पर चर्चा की है, जो वर्तमान विवाद के लिए प्रांसगिक है । उक्त निर्णय में की गई टिप्पणी का प्रासंगिक भाग निम्मानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है :-

> "सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरूपयोग के कारण किसी नागरिक को हुई चोट की क्षतिपूर्ति करने के लिए अदालतों का अधिकार क्षैत्र और शक्ति स्थापित की गई है जैसा कि कैसेल एण्ड कम्पनी लिमिटेड बनाम ब्रूम में लॉर्ड हेल्शम ने देखा था (वर्ष 1972 ए0सी0 1027 (1972) 1 आल ई0आर0 801) इस सिद्धान्त पर कि, अनुकरणीय क्षति का पुरस्कार कानून की ताकत को साबित करने में उपयोगी उद्देश्य पूरा कर सकता है । एक सामान्य नागरिक या आम आदमी शायद ही राज्य या उसके तन्त्र की ताकत से मुकाबला करने के लिए सुसज्जित हो । यह कानून के शासन द्वारा प्रदान किया गया है । यह सत्ता के मनमाने और मनमौजी प्रयोग पर रोक लगाने का काम करता है, रूक्स बनाम बरनार्ड (वर्ष 1964 ए0सी0 1129ः (1964) सभी ई0आर0 367, 410) लार्ड डेवलिन द्वारा यह देखा गया था, सरकार के सेवक भी लोगों के सेवक है और उनकी सेवा व शक्ति का उपयोग हमेशा उनके कर्तव्य के अधीन होना चाहिए । यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी दुर्भावनापूर्णया दमनकारी ढंग से कार्य करता है और शक्तियों के प्रयोग के परिणामस्वरूप उत्पीड़न और पीड़ा होती है तो यह शक्ति का प्रयोग नहीं बल्कि उसका

दुरूपयोग है । कोई भी कानून इसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं करता है । जो इसके लिए जिम्मेदार है उसे इसे भुगतना होगा ।"

जैसा कि पहले बताया गया है, मुआवजा या क्षति तब भी हो सकती है जब अधिकारी अपने कर्तव्य का ईमानदारी और निष्ठापूर्वक निर्वहन करता है । लेकिन जब यह मनमाने या मनमाने व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है तो यह अपना व्यक्तिगत चरित्र खो देता है और सामाजिक महत्व ग्रहण कर लेता है । सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा एक आम आदमी का उत्पीड़न सामाजिक रूप से घृणित और कानूनी रूप से अस्वीकार्य है । इससे उन्हें व्यक्तिगत तौर पर नुकसान हो सकता है लेकिन समाज को लगी चोट कहीं अधिक गम्भीर है । जनप्रतिरोध के अभाव के कारण ही समाज में अपराध और भ्रष्टाचार पनपते और फलते-फूलते है । असहायता की भावना से अधिक हानिकारक कुछ भी नहीं है । एक सामान्य नागरिक दफ्तरों में अवांछनीय कामकाज के दबाव में शिकायत करने और लड़ने की बजाय उसके खिलाफ खड़ा होने की बजाय उसका शिकार हो जाता है । इसलिए सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के लिए मुआवजे का पुरस्कार न केवल व्यक्ति को मुआवजा देता ह, उसे व्यक्तिगत रूप से सन्तुष्ट करता है बल्कि सामाजिक बुराई को ठीक करने में भी मदद करता है । इसके परिणामस्वरूप कार्य संस्कृति में सुधार हो सकता है और दृष्टिकोण बदलने में मदद मिल सकती है । वेड ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कहा है कि यह सार्वजनिक प्राधिकारियों का श्रेय है कि चोट पहुँचाने वाले गैरकानूनी कार्य कदाचार के इस रूप, अर्थात् सार्वजनिक कार्यालयों में दुर्व्यवहार, जिसमें शक्तियों का दुरूभावनापूर्ण उपयोग, जानबूझकर कुप्रशासन और शायद अन्य भी शामिल है, पर बहुत कम रिर्पोट किए गए अंग्रेजी निर्णय है । इसका एक कारण कानून का विकास प्रतीज होता है, जो अन्य कारकों के इलावा, सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों को उनके मनमौजी या गैरकानूनी कार्यो के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराकर किसी नागरिक को चोट लगने या हानि होने पर उसके विरूद्ध हर्जाना देकर कामकाज पर नियंत्रण रखने में सफल रहा । समय-समय पर दिए गए विभिन्न निर्णयों को वेड द्वारा सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा दुराचार पर संदर्भित किया गया है । हम उनमें से कुछ समाज के लिए कितना आवश्यक हैं"

12. ऊपर उद्धृत कानून और मामने के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता उस राशि पर ब्याज के भुगतान का भी हकदार है जो लगभग दो वर्षो की अवधि के लिए प्रतिवादी-अधिकारियों के पास रहीं । उन्हें मुआवजें के साथ-साथ हर्जाने का भी हकदार माना गया है । याचिकाकर्ता को भारी पीड़ा का सामना करना पड़ा है क्योंकि सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए एक कानून के तहत कार्य करने का अधिकार प्राप्त सम्बन्धित प्राधिकारी ने निष्पक्षता से कार्य नही किया है । प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से कार्यवाही और निष्क्रियता के कारणयाचिकाकर्ता को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा का सामना करना पड़ा है । वह 2/- रूपये की कम राशि

के भुगतान के कारण उत्पीड़न या मानसिक पीड़ा या उत्पीड़न के लिए मुआवजे का हकदार है । उन्हे कब्ज़ा सौंपने के लिए आवंटन पत्र जारी होने का इन्तजार करना पड़ा और मजबूर परिस्थितियों में उन्हें अधिक राशि जमा करनी पड़ी जो बाद में वापस कर दी गई । यह दुर्भावनापूर्ण कार्य प्रतीत होता है । हालाँकि, मानसिक पीड़ा के लिए कोई हर्जाना नहीं दिया जा सकता है क्योंकि मुआवज़ा देने की शक्ति और कर्तव्य का मतलब यह नहीं है कि सभी मामलों में मुआवजा दिया जा सकता है और ब्याज की एक समान राशि नहीं हो सकती है । प्रत्येक मामले पर उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए । ब्याज अधिनियम, 1978 के तहत "ब्याज की वर्तमान दर" का अर्थ उन अधिकतम दरों में से उच्चतम होगा जिस पर रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए या जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अनुसूचित बैंकों के विभिन्न वर्गो द्वारा जमा के विभिन्न वर्गो पर ब्याज का भुगतान किया जा सकता है । बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत बैंक ऑफ़ इंण्डिया, ब्याज अधिनियम की धारा 3में प्रावधान है कि किसी भी ऋण या क्षति की वसूली के लिए किसी भी कार्यवाही में या किसी भी कार्यवाही में जिसमें पहले से भुगतान किए गए किसी भी ऋण या क्षति के सम्बम्ध में ब्याज का दावा किया जाता है, यदि न्यायालय उचित समझे तो वर्तमान ब्याज दर से अधिक न होने वाली दर पर ब्याज की अनुमति दे सकता है । वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता उच्चतम ब्याज दर का हकदार है ।

13. तदनुसार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और कानून की स्थिति पर विचार करते हुए, जैसा की ऊपर चर्चा की गई है, याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का हकदार माना जाता है, को वापस की गई राशि जो कि 4,72,180/–रुपये दिनांक 29.06.2016 से दिनांक 10. 05.2018 तक प्रतिवादी–अधिकारियों के पास रहे । ब्याज राशि के इलावा, याचिकाकर्ता 50,000/–रूपये नुकसान के लिए राशि का भी हकदार है । प्रतिवादी–अधिकारियों को ब्याज की राशि की गणना करने और आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर क्षति की राशि के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है ।

पायल मेन्टा

अस्वीकरण :– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सतीश कुमार
अनुवाद